उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-182/2016/1329/38-1-2016-03 टी0आर0/2016
लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय- आदेश संख्या-776-बी/स्था0प्र0/2016, दिनांक 17.06.2016 द्वारा श्री कृष्ण प्रताप त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी, बस्ती का खण्ड विकास अधिकारी, गोरखपुर के पद पर किया गया स्थानान्तरण सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उक्त कार्यालय- आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

उमा कान्त पाठक
उप सचिव।

<u>संख्या-182/2016/1329(1)/38-1-2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, बस्ती/गोरखपुर।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, बस्ती/गोरखपुर ।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती/गोरखपुर ।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।